



Neutral Citation No. – 2026:AHC:124679

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या – 34260 वर्ष 2025

रविंदर एवं 14 अन्य

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

.....विपक्षीगण

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता

: अनिल कुमार मिश्रा

विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता

: जी.ए., राजशेखर पाण्डेय

न्यायालय संख्या – 33

माननीय न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार मिश्रा, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री राजशेखर पाण्डेय, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अधीन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि केस संख्या 4803 वर्ष 2023 (पुराना संख्या 2425 वर्ष 2017) (राज्य बनाम रविंदर एवं अन्य), मुकदमा अपराध संख्या 412 वर्ष 2017, धारा 147, 148, 323, 307, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना कैराना, जनपद शामली में लंबित संपूर्ण कार्यवाही, साथ ही दिनांक 07.07.2017 की आरोप-पत्र तथा दिनांक 17.07.2017 को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना द्वारा पारित संज्ञान/समन आदेश, जो विद्वान सिविल जज (सीनियर

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



डिवीजन), कैराना, जनपद शामली के न्यायालय में लंबित है, दिनांक 17.07.2025 के समझौते के आधार पर निरस्त किया जाए।

3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पक्षकारों ने दिनांक 17.07.2025 के समझौते के माध्यम से अपने विवाद का निपटारा कर लिया है, जिसे वर्तमान आवेदन के अनुलग्नक संख्या '6' के रूप में संलग्न किया गया है तथा जिसे विद्वान सिविल जज (सीनियर डिवीजन), कैराना, शामली के न्यायालय द्वारा दिनांक 26.09.2025 के आदेश के माध्यम से विधिवत सत्यापित किया गया है।

4. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान विवाद आवेदकगण एवं विपक्षी संख्या 2 के मध्य व्यक्तिगत प्रकृति का है। यह भी तर्क दिया गया कि पक्षकारों ने अपनी इच्छा से तथा किसी दबाव, धमकी अथवा प्रपीड़न के बिना समझौता किया है और वे संबंधित न्यायालय में लंबित कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। अतः समझौते के आधार पर आक्षेपित कार्यवाही को निरस्त किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि वे प्रति-शपथपत्र एवं प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं।

5. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को स्वीकार किया तथा कहा कि यदि आवेदकगण के विरुद्ध लंबित आक्षेपित कार्यवाही को निरस्त कर दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने भी दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों की सत्यता पर कोई विवाद नहीं किया।

7. पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर किसी मामले को निरस्त किए जाने के संबंध में विधि सुस्थापित है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी संविधान पीठ के निर्णय, **जियान सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं एक अन्य, (2012) 10 एस.सी.सी. 303** में यह अभिनिर्धारित किया है कि “परन्तु वे आपराधिक मामले, जिनमें मुख्यतः और प्रभावी रूप से सिविल प्रकृति का तत्व विद्यमान हो, निरस्तीकरण के प्रयोजन के लिए भिन्न आधार पर होते हैं, विशेष रूप से वे अपराध जो वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, सिविल, साझेदारी अथवा इसी प्रकार के लेन-देन से उत्पन्न होते हैं या वे अपराध जो वैवाहिक संबंधों, दहेज आदि अथवा पारिवारिक विवादों से उत्पन्न होते हैं, जहाँ मूलतः गलत कृत्य निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का होता है और पक्षकारों ने अपने संपूर्ण विवाद का समाधान कर लिया है। इस श्रेणी के मामलों में उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर सकता है, यदि उसकी राय में अपराधी और पीड़ित के मध्य हुए समझौते के कारण दोषसिद्धि की संभावना अत्यंत क्षीण और दूरस्थ हो तथा आपराधिक मामले को जारी रखने से अभियुक्त को अत्यधिक उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा तथा पीड़ित के साथ पूर्ण और संपूर्ण समझौता हो जाने के बावजूद आपराधिक मामले को निरस्त न करने से उसके साथ घोर अन्याय होगा।”

9. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **परबतभाई अहीर उर्फ परबतभाई भीमसिंहभाई करमुर एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं एक अन्य, (2017) 9 एस.सी.सी. 641** में समझौते के आधार पर अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किए जाने के संबंध में व्यापक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं कि “गैर-शमनीय मामलों में भी समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है, ताकि न्यायालय का बहुमूल्य समय बचाया जा सके और उसका उपयोग अन्य महत्वपूर्ण मामलों में किया जा सके।”

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



10. दोनों पक्ष संबंधित न्यायालय में उनके मध्य लंबित कार्यवाही को वापस लेने के लिए सहमत हो गए हैं। अभिलेख के परिशीलन तथा उपर्युक्त उद्धृत विधि के दृष्टिगत, वर्तमान मामला न्यायालय द्वारा समन आदेश के साथ-साथ संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने की शक्ति के प्रयोग के लिए उपयुक्त मामला है।
11. विवाद पूर्णतः सिविल प्रकृति का प्रतीत होता है, जिसका पक्षकारों द्वारा उनकी पूर्ण संतुष्टि के अनुसार पारस्परिक रूप से निपटारा कर लिया गया है। अतः अभियोजन को आगे जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
12. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अधीन निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत वर्तमान आवेदन, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदीप कुमार केसरवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य, आपराधिक अपील संख्या 3831 वर्ष 2025, विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 11642 वर्ष 2019, दिनांक 02.09.2025 में निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत आता है।
13. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कथित विवाद संपत्ति से संबंधित है, केस संख्या 4803 वर्ष 2023 (पुराना संख्या 2425 वर्ष 2017) (राज्य बनाम रविंदर एवं अन्य), मुकदमा अपराध संख्या 412 वर्ष 2017, धारा 147, 148, 323, 307, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना कैराना, जनपद शामली की संपूर्ण कार्यवाही एतद्द्वारा निरस्त की जाती है।
14. तदनुसार, धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रस्तुत वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला)

01 जून, 2026

निशा

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"